न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट लूणी,जोधपुर।

पीठासीन अधिकारी गोपाल परिहार आर ए एस

अपील संख्या : 14 / 2020

अपीलांट

01.श्रीमित संगीता धर्म पत्नी श्री रमेशकुमार उम्र 70वर्ष जाति सर्राफ (सिन्धी) निवासी ई–35–36 शास्त्रीनगर जोधपुर

बनाम

प्रत्यर्थीगण :–

01 मोहनसिंह पुत्र प्रतापसिंह

02. हनुमानसिंह पुत्र प्रतापसिंह जातियान राजपुत निवासी ग्राम खेजड़ली कलां तहससील लुणी जिला जोधपुर हाल निवास ग्राम भेड़ तहसील ओसिया जोधपुर

03 राजस्थान कसरकार जरिय सरपंत्र ग्राम पंयायत खेजड़ली कलां पुचात समिति लुणी जिला जोधपुर

अपील अन्तर्गत धारा75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम विरूद्व आदेश फौतेदगी नामान्तरकरण संख्या 1277 दिनांक 07.06.2019 ग्राम पंचायत खेजड़ली कला द्वारा पारित किया गया।

उपस्थित :

01.श्री नरपतसिह कच्छवाह अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से उपस्थित।

02.श्री रूगाराम चौधरी अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट्स की ओर से उपस्थित।

आदेश दिनांक 06/06/2022

प्रकरण के संक्षेप में तथ्या इस प्रकार से है कि अपीलांअ ने अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि मौजा ग्राम खेजड़ली कल्ला के खसरा संख्या 526 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा पंजिकृत बेचान दिनांक 25.01.1996 को जरिये आम मुख्त्यार सवाईसिंह पुत्र पुखराज जाति ओसवाल के खरीद किया। अपीलांट ने अपील में आगे वर्णन किया कि खातेदार काश्तकार श्रीमति पुष्पकंवर ने सवाईसिंह के पक्ष में आम मुख्त्यारनामा दिनांक 17.10.1995 को पंजिकृत करवाया गया। खातेदार काश्तकार श्रीमति पुष्पकंवर का देहान्त दिनांक 29.01.2014 को हो चुका हैं। खातेदार काश्तकार श्रीमति पुष्पकंवर का देहान्त होने पर ग्राम पंचायत खेजड़ली कल्ला द्वारा विधि अनुसार विरासत का नामान्तरकरण संख्या 1277 स्वीकृत किया गया। अपीलांअ ने धारा 05 म्याद अधिनियम एवं अपील प्रस्तुत करने की अनुमति का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया रेस्पोडेंटस ने धारा 05 म्याद अधिनियम एवं धारा 96 सी पी सी के प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर कथन किया कि

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी

अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नही हैं। रेस्पोडेंट ने लिखित बहस परं कथन किया कि अपीलांट को यह जानकारी हो गई कि आममुख्त्यारनामा फर्जी बनावटी मनगंढन्त है। बेचान दस्तावेज फर्जी आम–मुख्त्यारनामा के आधार पर होने के कारण बेचान दस्तावेज की विधि में कोई मान्यता नही है। इस कारण से अपीलांट ने बेचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही नही की। खातेदार काश्तकार श्रीमति पुष्पकंवर ने अपने जीवनकाल में खसरा संख्या 526 रकबा 21 बीघा 09 बिस्वा का बेचान हस्तान्तरण अपीलांट या अन्य किसी व्यक्ति संस्था के पक्ष में नही किया ओर नही किसी के पक्ष में आम मुख्त्यारनामा निष्पादित कर पंजिकृत करवाया। अपीलाट ने सवाईसिंह के विरूद्व धोखाधड़ी का मुकदमा दर्ज करवाया जिसमें अनुसंधान अधिकारी द्वारा जांच की गई एवं आम मुख्तयारनामा फर्जी बनावटी एवं मनगढन्त होना जाहिर किया। अपीलांट ने बेचान दस्तावेज के आधार पर करीब 25 वर्षो तक नामान्तरकरण की कार्यवाही नही करने का काई कारण अपील में खुलासा नही किया। अपीलांट ने अपील में यह भी खुलासा नही किया कि खातेदार काश्तकार के जीवन काल में बेचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तरकरण की कार्यवाही क्यो नही की । खातेदार काश्तकार के देहान्त के बाद विरासत के नामान्तरकरण को चुनौति देने का विधिक अधिकार अपीलांट को । इससे से रूपष्ट होता है कि अपीलांट का यह पुर्ण जानकारी थी कि बेचान दस्तावेज फर्जी बनावटी विधि विरूद्व हैं। ग्राम पंचायत खेजड़ली कला द्वारा नामान्तरकरण संख्या 1277 विधि अनुसार विरासत के आधार पर स्वीकृत किया गया। इस कारण से अपीलांट को विरासत के आधार पर स्वीकृत नामान्तरकरण को चुनौति देने का कोई विधिक अधिकारी नही है। अपीलांट की अपील नामान्तरकरण संख्या 1277 के विरूद्व पोषणीय नही होने के कारण काबिल खारिज है। रेस्पोडेंटस ने कथन किया कि विधि का यह सुस्थापित सिद्वान्त है कि खातेदारी अधिकारो का निस्तारण नामान्तरकरण की समरी कार्यवाही में निर्धारित नही किया जा सकते है। इस कारण से अपीलांट की अपील पोषणीय नही होने के कारण काबिल खारिज है खारिज फरमाई जावें।

वकुलाय पक्षकारान की बहस सुनी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी वर्ष 1996 में खरीदना बता रही है खातेदार काश्तकार श्रीमति पुष्पकंवर का देहान्त दिनांक 29.01.2014 को हो चुका लेकिन अपीलांट ने इतने लम्बे समय तक बेचान दस्तावेज के आधार पर नामान्तकरण की कार्यावाही नही की। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलाधिन नामान्तरकरण संख्या 1277 खातेदार काश्तकार के देहान्त होने के 06 साल बाद स्वीकत किया गया। अपीलांट ने अपील म्याद बाहर प्रस्तुत की म्याद के प्रार्थना पत्र में ऐसा कोई कारण अंकित नही किया जिसके के आधार म्याद के प्रार्थना पत्र को स्वीकार किया जा सके । अधिनस्थ न्यायालय ने खातेदार काश्तकार

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधि
लूणी

का देहान्त होने पर खातेदाररान के विधिक वारिसान के पक्ष में नामान्तरकरण संख्या 1277 स्वीकार किया है इस कारण से अपीलधिन नामान्तरकरण संख्या 1277 स्वीकार करने मे किसी प्रकार की विधिक त्रुटी नही की । अपीलांट को अपील प्रस्तुत करने का कोई विधिक अधिकार नही हैं। अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 96 एवं धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य होने से खारिज किया जाता है। अपीलांट की अपील म्याद बाधित होने एवं अपील प्रस्तुत करने का अधिकार नही होने के कारण खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

06/06/14

(गोपाल परिहार आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर एव उपखण्ड मजिस्ट्रेट, लूणी

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,
लूणी